

अध्याय-1

विभागीय कार्यकलाप

विद्यालयी शिक्षा का मुख्य कार्य कक्षा-1 से कक्षा-12 तक की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करना, उसका संचालन करना, उपलब्ध करायी जा रही शिक्षा का मूल्यांकन करना एवं उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप एवं पश्चपोषण करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना तथा स्कूली शिक्षा की आयु पार कर चुके व्यक्तियों के लिए साक्षरता के कार्यक्रमों का संचालन करना विभागीय कार्यकलाप का अंग है।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, विभिन्न प्रकार के संसाधनों एवं हस्तक्षेप के लिए सर्व शिक्षा अभियान एन.पी.ई.जी.ई.एल. (नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल) तथा के.जी.बी.वी. (कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय) की योजनायें संचालित की जा रही हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालयों में मानकानुसार अध्यापकों की व्यवस्था करना, छात्रों के ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन परिषदीय परीक्षाओं के माध्यम से करना। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यों में से हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं विद्यालयों में भौतिक संसाधनों के सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 5 किमी. की परिधि में मानक पूर्ण करने वाले जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण तथा विद्यालयों में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अकादमिक सहयोग हेतु भी विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागीय परीक्षाओं तथा संस्कृत विद्यालयों की परीक्षाओं का आयोजन एवं संचालन भी बोर्ड द्वारा किया जाता है। साथ ही विभिन्न विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी परिषद द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में एन0सी0एफ0 2005 के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण एस.सी.ई.आर. टी. द्वारा किया जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु समय-समय पर विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण

दिये जाने हेतु प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

केन्द्र पोषित विभिन्न कार्यक्रमों से जन सामान्य को लाभान्वित कराने हेतु प्रयासरत् है, इसके तहत मुख्यतः राज्य में साक्षरता की दर को बढ़ाने एवं साक्षरता में लिंगभेद को 10 प्रतिशत तक लाने के लिए राज्य के 6 जनपदों में साक्षर भारत कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आई0सी0टी0 एवं इनसेन्टिव टू गर्ल्स फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन योजनायें भी संचालित हैं। आई0सी0टी0 योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत है। इनसेन्टिव टू गर्ल्स फॉर सेकेण्डरी स्कूल के अधीन वंचित वर्ग की छात्राओं को कक्षा 9 व 10 में अध्ययन करने पर 3000/- ₹0 की एक मुश्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।


उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं प्रधानाचार्यों को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए सभी विकास खण्डों में बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को निशुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय खोले गये हैं। इस विद्यालयों के 50 प्रतिशत स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। अपवंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं।

संगठनात्मक ढांचा

विद्यालयी शिक्षा विभाग के ढांचे को पुनर्गठित कर प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के नाम से तीन निदेशालय बनाये गये हैं। तीनों निदेशालयों एवं परियोजनाओं के मध्य समन्वय हेतु महानिदेशालय बनाया गया है।

शासन स्तर पर प्रशासनिक विभाग का नेतृत्व प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति) द्वारा किया जाता है। विभागीय स्तर पर महानिदेशक समन्वयक की भूमिका में हैं जबकि तीनों निदेशक अपने-अपने विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं। विभाग स्तर पर ढांचा निम्न प्रकार है :-



राज्य में स्थित विद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	विद्यालय का स्तर	राजकीय	सहायता प्राप्त	मान्यता प्राप्त	योग
01	प्राथमिक विद्यालय	12511	0	2917	15428
02	उच्च प्राथमिक विद्यालय	2948	272	661	3881
03	हाईस्कूल	866	45	272	1183
04	इण्टर कालेज	1005	270	390	1665

राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों का विवरण निम्नवत् है—

पद	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त
प्रधानाचार्य	1005	636	366
प्रधानाध्यापक	866	845	21
प्रवक्ता	9522	6716	2806
सहायक अध्यापक	18008	14914	3094
योग	29401	23111	6287
प्रधानाध्यापक जू0हा0स्कूल	2132	1225	907
सहायक अध्यापक	11181	9601	1580
प्रधानाध्यापक प्रा0वि0	8228	6977	1251
सहायक अध्यापक	17686	12881	4805
योग	39227	30684	8543

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/कार्यक्रमों की सूची तथा तदविषयक लक्ष्य एवं नीतियां

संचालित योजनायें/आय-व्ययक के अनुसार वर्गीकृत कार्यक्रम

1. **प्रारम्भिक शिक्षा का निर्देशन एवं प्रशासन**— बेसिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना की गयी है। विकासखण्ड स्तर से राज्य स्तर तक पृथक प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है।
2. **राजकीय प्राथमिक विद्यालय**— कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को संचालित किये जाने हेतु इस कार्यक्रम के तहत बजट व्यवस्था की जाती है।
3. **अराजकीय प्राथमिक विद्यालय**— जन सहभागिता से संचालित जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुमन्य अनुदान एवं कक्षा— 1 से 8 तक के सामान्य जाति के बालकों हेतु निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण व्यवस्था की जाती है।

4. **साक्षरता कार्यक्रम**— प्रदेश के ऐसे जनपद जिनमें महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है, में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के जनपद टिहरी, बागेश्वर, चम्पावत, उत्तरकाशी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में साक्षर भारत कार्यक्रम संचालित है।
5. **सर्व शिक्षा अभियान**— सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र सरकार के सहयोग से प्राथमिक शिक्षा में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अधीन शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु कार्य किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल में नामांकित कराना, विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाने, प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
6. **माध्यमिक शिक्षा का निदेशन एवं प्रशासन**— माध्यमिक शिक्षा में नियोजन, नीति निर्धारण प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु महानिदेशलय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्थापित है।
7. **अनुसंधान एवं प्रशिक्षण**— शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शोध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने एवं क्रियान्वित कराने हेतु राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित है।
8. **क्षेत्रीय निरीक्षण**— विद्यालयों के निरीक्षण, पठन—पाठन की प्रभावी व्यवस्था बनाने हेतु मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
9. **छात्रवृत्तियां**— विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रोत्साहन दिये जाने एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को आर्थिक प्रोत्साहन दिये जाने हेतु विभिन्न छात्रवृत्तियां संचालित हैं।
10. **परीक्षाएँ**— अध्ययन एवं अध्यापन का प्रमाणीकरण किये जाने हेतु प्रदेश में कक्षा— 10 एवं 12 की परीक्षाएँ केन्द्रीय स्तर पर नियंत्रित होती हैं। परिषदीय परीक्षा, विभागीय परीक्षा के संचालन, नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद गठित है।
11. **राजकीय माध्यमिक विद्यालय**— जन सामान्य को शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु विद्यालयों को खोलने एवं उन्हें संचालित किये जाने हेतु इस कार्यक्रम के तहत बजट व्यवस्था की जाती है।
12. **गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय**— जन सहयोग से संचालित विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वेतन भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
13. **सार्वजनिक पुस्तकालय**— पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक सामाजिक, ऐतिहासिक एवं प्रतियोगितात्मक ज्ञान हेतु पुस्तकालयों की व्यवस्था इस कार्यक्रम के तहत की गई है।
14. **पूँजीगत कार्य**— विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों एवं विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु इस कार्यक्रम के तहत बजट की व्यवस्था की गई है।
15. **जिला योजना**— जिला अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर विद्यालयों में कक्षा—कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु इस कार्यक्रम के तहत बजट की व्यवस्था की गई है।

16. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान**— राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही एक केन्द्र सहायित योजना है। इस कार्यक्रम के तहत 14 से 18 वय वर्ग के ऐसे बालक-बालिका को माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिन्होंने कक्षा-8 उत्तीर्ण कर ली है। योजना प्रथम चरण में केवल राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं कक्षा 9-10 हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत सहायता दी जा रही है।

लक्ष्य एवं नीतियाँ

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू करना।
2. समस्त बच्चों को 100 प्रतिशत स्कूली शिक्षा की पहुँच उपलब्ध कराना।
3. सभी नामांकित बच्चों को गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा 05 वर्ष में तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा 03 वर्ष में पूर्ण करवाना।
4. सभी बच्चों को जीवनोपयोगी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना।
5. सभी लिंग एवं सामाजिक विषमताओं को कम करना।
6. प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में सार्वभौमिक ठहराव।
7. राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु साक्षर भारत कार्यक्रम का संचालन।
8. 14 से 18 वय वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तायुक्त माध्यमिक शिक्षा की सुलभता।
9. वर्ष 2012 तक माध्यमिक स्तर पर 70 प्रतिशत तथा वर्ष 2017 तक शत प्रतिशत सकल नामांकन दर प्राप्त करना।
10. 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव प्राप्त करना।
11. शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में बालिका छात्रावासों की व्यवस्था करना।
12. शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में मॉडल स्कूलों की व्यवस्था करना।
13. आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े, बालिकाओं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की सुलभता।
14. अध्यापकों को नये परिप्रेक्ष्य में शिक्षण हेतु सेवारत एवं सेवापूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना।

महिलाओं के लिए विशेष योजनायें

1. **कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयः**— राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष-महिला साक्षरता में अत्यधिक अन्तर वाले 12 जनपदों के शैक्षिक रूप से पिछड़े 26 विकासखण्डों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना की गयी है। जिसमें कक्षा-6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है।

इन विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकायें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों एवं पहली पीढ़ी की शिक्षार्थी हैं। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात् इन बालिकाओं की शिक्षा बाधित हो जाने की सम्भावना अधिक थी। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से इन विद्यालयों की बालिकाओं हेतु कक्षा 12 तक की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।

2. **माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा हेतु अनुदान:-** ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन तथा विद्यालयों में नामांकित छात्राओं के ठहराव को सुनिश्चित किये जाने हेतु इन क्षेत्रों में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, जहां सहशिक्षा संचालित हो, में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय अथवा कॉमन रूम बनाये जाने हेतु प्रबन्धतन्त्र को अनुदान दिया जाता है।
3. **बी.पी.एल. छात्राओं को प्रोत्साहन (तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना):-** प्रदेश में बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण कर कक्षा 9 में प्रवेश लेने तथा कक्षा 9 उत्तीर्ण कर कक्षा 10 में अध्ययन करने वाली बालिकाओं, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से आती हैं, को क्रमशः एक हजार एवं दो हजार रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
4. **Incentive to Girls For Secondary Education:-** अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा आरम्भ केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत चिह्नित बालिकाओं को एक मुश्त तीन हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
5. **बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना:-** माध्यमिक स्तर पर लिंगभेद को कम करने हेतु बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सरस्वती छात्रवृत्ति नाम से एक नई योजना आरम्भ की जा रही है। जिसके अन्तर्गत राजकीय एवं सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थित रहने वाली अध्ययनरत् बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा पर परिवार द्वारा किये जाने वाले व्यय के बोझ को कम करने हेतु प्रति बालिका रुपये एक हजार की दर से वार्षिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिससे बालिका की पुस्तकों/गणवेश आदि पर होने वाले व्ययभार की आंशिक पूर्ति हो सके।
6. **बालिका छात्रावास योजना:-** शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में बालिकाओं हेतु छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। इन छात्रावासों से दूर दराज की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने में सहायता मिलेगी।

अध्याय-2

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित योजनाओं का विवरण

धनराशि लाख रूपयों में

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित आउटकम		समय सीमा
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
बेसिक शिक्षा									
निदेशन एवं प्रशासन	बेसिक शिक्षा का नियमन	214.95	1269.53		-			-	
मध्याह्न भोजन योजना	1. प्राथमिक स्तर के बच्चों के पोषण में सुधार करना।	18487.06	0.00	17964 विद्यालय 835731 विद्यार्थी	-	वार्षिक	सकल नामांकन 100 प्रतिशत सकल धारण 100 प्रतिशत	-	शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च तक
	2. बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना।								
	3. योजना के माध्यम से सामाजिक समन्वय को मजबूती प्रदान करना।								
	4. लिंग भेद-भाव कम करने का प्रयास करना।								
	5. नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति, ठहराव एवं बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना।								
राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम	1. राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता की दर वाले जनपदों की साक्षरता को 80 प्रतिशत तक बढ़ाना।	590.00	0.00	06 जनपद	-	01 वर्ष	साक्षरता दर 80 प्रतिशत	-	वित्तीय वर्ष 2012-13
विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण	1. प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।	450.00	0.00	334520 बालक	-	01 वर्ष	सकल नामांकन 100 प्रतिशत सकल धारण 100 प्रतिशत	-	
बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण	1. बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	0.00	129035.02		35404 अध्यापकों को वेतन भुगतान	01 वर्ष		80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना	
सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता	1. प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धता में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना।	0.00	11750.00		1600 अध्यापक/ कर्मचारियों को वेतन भुगतान				

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित आउटकम		समय सीमा
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
शिक्षा का अधिकार अधिनियम	निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना।	2000.00	0.00						
सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षकों की व्यवस्था	27488.87	0.00	12183		एक वर्ष	सकल नामांकन 100 प्रतिशत सकल धारण 100 प्रतिशत		एक वर्ष
	कक्षा शिक्षण में टी0एल0एम0			41976		एक वर्ष		एक वर्ष	
	ब्लॉक स्तर पर शैक्षणिक विकास में सहयोग			95		एक वर्ष		एक वर्ष	
	संकुल स्तर से विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग			1001		एक वर्ष		एक वर्ष	
	पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या अनुसार प्रशिक्षण			43704		एक वर्ष		एक वर्ष	
	बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करना			24122		एक वर्ष		एक वर्ष	
	शैक्षणिक सुधार			121		एक वर्ष		एक वर्ष	
	प्रोत्साहन सभी बालिकायें, एस0सी0, एस0टी0			671091		एक वर्ष		एक वर्ष	
	प्रोत्साहन स्कूल में ठहराव हेतु			777996		एक वर्ष		एक वर्ष	
	विशिष्ट आवश्यकता			21898		एक वर्ष		एक वर्ष	
	विद्यालयी ढाँचागत सुविधायें			14524		एक वर्ष		एक वर्ष	
	विद्यालय सामग्री विकास			40		एक वर्ष		एक वर्ष	
	लघु टूट फूट मरम्मत			16679		एक वर्ष		एक वर्ष	
	विद्यालय विकास			17789		एक वर्ष		एक वर्ष	
	शोध मूल्यांकन अनुश्रवण व्यवस्था			17789		एक वर्ष		एक वर्ष	
	जनपद स्तर पर प्रबन्धन			13		एक वर्ष		एक वर्ष	
	बच्चों का कौशल विकास			69		एक वर्ष		एक वर्ष	
	समुदाय/जनप्रतिनिधियों में विद्यालय के प्रति			122300		एक वर्ष		एक वर्ष	
विकट क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल तक पहुँच सुलभ कराने हेतु			916		एक वर्ष		एक वर्ष		

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित आउटकम		समय सीमा		
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान			
	परिवहन व्यवस्था										
	अपव्यक्त बच्चों को छात्रावास सुविधा			3						एक वर्ष	एक वर्ष
	राज्य स्तर पर प्रबन्धन			1						एक वर्ष	एक वर्ष
	न्यून महिला साक्षरता बालिका शिक्षा हेतु			231						एक वर्ष	एक वर्ष
	शालात्यागी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु आवासीय सुविधा			28						एक वर्ष	एक वर्ष
बच्चों को प्रोत्साहन	योग्यता छात्रवृत्ति	20.00	10.00			वार्षिक			वार्षिक		
	प्रारम्भिक स्तर पर खेल										
	अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों का पी. पी. पी. मोड में संचालन										
माध्यमिक शिक्षा											
निर्देशन, प्रशासन एवं निरीक्षण	1. विभागीय नीति का निर्धारण करना।	63.93	2932.85		110 कार्यालयों एवं 1117 हाई0 एवं 1410 इण्टर कॉलेजों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण	वार्षिक	विद्यालयों हेतु नीति निर्धारण, निरीक्षण				
	2. अधीनस्थ कार्यालयों का नियंत्रण, निरीक्षण, मार्ग दर्शन एवं समन्वय।										
	3. मण्डलीय अपर निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का संचालन।										
	4. विकेंद्रित नियंत्रण, अनुश्रवण एवं समस्याओं के निराकरण।										
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	1. शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था।	2440.74	182.05	2600 बी0टी0सी0 एवं 1300 शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	3 डायटों में प्रशिक्षण विद्यालय	02 वर्ष	अध्यापकों के सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। अधिकारियों के सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था।				
	2. पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक निर्माण।										
	3. विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु सामग्रियों का निर्माण।										
	4. शैक्षिक तकनीकी आदि में शोध।										

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित आउटकम		समय सीमा
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
	5. अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के संचालन, अनुश्रवण आदि के प्रशिक्षण। 6. शैक्षिक प्रशासन व प्रबन्धन का प्रशिक्षण।								
छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन	1. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। 2. हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा की मेरिट में आने वाले छात्रों को प्रोत्साहन। 3. खराब आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन 4. सीमान्त जनपदों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन। 5. उत्तराखण्ड मूल के बच्चों को आर.आई.एम.सी. विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रोत्साहन। 6. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। 7. कक्षा-8 की परीक्षा में 70 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मण्डलीय मेरिट के आधार प्रोत्साहन 8. सैन्य स्कूलों में पढाई हेतु प्रोत्साहन। 9. कक्षा-8 में सर्वोत्तम अंक पाने वाले विद्यार्थी को कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक पाने पर प्रोत्साहन 10. अनु० जाति, जन जा० एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को प्रोत्साहन।	748.00	34.82		80 खेल छात्रवृत्ति 6800 बी०पी०एल० छात्रवृत्ति 275 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 35 छात्र-छात्राओं को दीन दयाल उपाध्याय पुरस्कार 18 आर०आई०एम० सी० छात्रवृत्ति 9000 बालिकाओं को इनसैन्टिव फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन 17 सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति	वार्षिक		100 प्रतिशत नामांकन दर प्राप्त करना	

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित आउटकम		समय सीमा
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
	11. अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन। 12. प्रतिभाशाली बच्चों की खोज एवं प्रोत्साहन। 13. बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन। 14. उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहन।								
परीक्षायें	1. परीक्षा का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण 2. ओपन स्कूलिंग 3. मूल्यांकन के संबंध में परिषद मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना। 4. अशासकीय विद्यालयों का नियमन।	0.01	1108.50		316471 बोर्ड परीक्षार्थी 2600 बी0टी0सी0 प्रमाणीकरण	वार्षिक			
राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों का संचालन एवं स्थापना	1. असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूलों की स्थापना। 2. स्थापित विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास।	3412.12	147806.51		886 राजकीय हाईस्कूल एवं 1005 राजकीय इण्टरकॉलेजों का संचालन	वार्षिक	सकल नामांकन 70 प्रतिशत (हाईस्कूल)	100 प्रतिशत क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना	
आवासीय विद्यालयों का संचालन	1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना	1112.51	0.00	2484 विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा		वार्षिक			
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर पर विस्तारीकरण	1. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक वर्ग की ड्रापआउट बालिकाओं की इण्टर स्तर तक आवासीय शिक्षा व्यवस्था	150.00	0.00	26 विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति / जन जाति की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा की व्यवस्था		वार्षिक	जेण्डर गैप 10 प्रतिशत तक लाना		

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित आउटकम		समय सीमा
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	1. शिक्षा की व्यवस्था में गैर सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन।	307.20	20000.00		315 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का संचालन	वार्षिक		जनसहभागिता से विद्यालयों का संचालन	
शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन	1. शिक्षक-शिक्षा की व्यवस्था करना। 2. संकाय विकास एवं शोध।	290.00	0.00	10 डायट, 03 डी0आर0सी0 का सृष्टीकरण		वार्षिक	समस्त संस्थानों में 100 प्रतिशत सुविधाओं का विस्तार		
माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना	1. शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का प्रयोग।	500.00	0.00	500 विद्यालयों में ई क्लास की सुविधा			शिक्षण में आई0सी0टी0 का प्रयोग		
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/आई.ई.डी.एस. एस./मॉडल स्कूल/गर्ल्स हॉस्टल	1. वर्ष 2012-13 तक हाईस्कूल स्तर की शिक्षा की सर्वसुलभता। 2. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। 3. अध्यापकों एवं अभिकर्मियों की क्षमता विकास। 4. शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण। 5. ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूल की स्थापना। 6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।	17334.50	0.00	20240 शिक्षकों का प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर पर समेकित शिक्षा कार्यक्रम 19 विकासखण्डों में मॉडल स्कूलों का निर्माण, 19 विकासखण्डों में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण		वार्षिक	सकल नामांकन दर 80 प्रतिशत शुद्ध नामांकन दर 45 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर से हाईस्कूल स्तर स्तरोन्मय 99 प्रतिशत ड्राप आउट दर 5 प्रतिशत तक लागत		
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान	1. सैनिक स्कूल को सहायता प्रदान करना।	275.00	10.00	सेना हेतु प्रति वर्ष 60 अधिकारियों की उपलब्धता वार्षिक अनुरक्षण करना					वार्षिक
स्काउट एवं प्रदर्शनियां	1. स्काउट-गाइड की गतिविधियों का संचालन। 2. झांकियां एवं प्रदर्शनियां	0.00	27.00					विद्यार्थियों में सामुदायिकता एवं सहयोग की भावना का विकास	वार्षिक अनुदान

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित आउटकम		समय सीमा
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
खेलों का आयोजन	1. विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना।	0.00	45.00			वार्षिक			वार्षिक
	2. विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करना।								
पुस्तकालय	1. सार्वजनिक पुस्तकालयों के भवन उपकरण एवं पुस्तकीय सहायता प्रदान करना।	40.00	129.92	24 पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता		वार्षिक			
	2. राजकीय जिला एवं शाखा पुस्तकालयों का संचालन।								
राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनों का निर्माण	1. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	1450.02	0.00	28 चालू वृहत निर्माण		वार्षिक	आधारभूत सुविधा की उपलब्धता		
शिक्षा कार्यालय भवनों का निर्माण	1. आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	100.00	0.00	2 कार्यालय भवन			आधारभूत सुविधा की उपलब्धता		
आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण	1. आवासीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	700.00	0.00	06 राजीव गांधी आवासीय विद्यालय भवन		वार्षिक	आधारभूत सुविधा की उपलब्धता		
पुस्तकालयों का भवन निर्माण	1. आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	60.00	0.00	1 पुस्तकालय के चालू भवन निर्माण कार्य			आधारभूत सुविधा की उपलब्धता		
अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	1. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	100.00	0.00	9 चालू वृहत निर्माण कार्य			आधारभूत सुविधा की उपलब्धता		
	2. असेवित क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना।								
	3. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।								

अध्याय-3

सुधारात्मक कार्य एवं नीतिगत पहल

- प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है।
- प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालयों की स्थापना की गई है।
- राज्य में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पृथक-पृथक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग गठित किये जा रहे हैं।
- उत्कृष्ट शिक्षा हेतु जनपद स्तर पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।
- प्रवक्ता के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड से चयन किया गया है।
- सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।
- प्राथमिक शिक्षा के शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों को एल0टी0 के 05 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पदों पर वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया गया है।
- पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने हेतु रूम टू रीड कार्यक्रम का संचालन किया गया है।
- अपवंचित वर्ग की ड्राप आउट बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।
- लर्निंग गारन्टी कार्यक्रम का संचालन किया गया है।
- शैक्षिक तकनीकी में इन्फॉर्मेशन तकनीकी के समावेश हेतु देहरादून में राज्य शैक्षिक सूचना प्रौद्योगिकी अकादमी की स्थापना की गई है।
- रटंत शिक्षा प्रणाली के स्थान पर दक्षता आधारित शिक्षण पद्धति तैयार की गई है।
- बाल मैत्रीपूर्ण भयविहीन परीक्षा प्रणाली तैयार की गई है।
- विद्यालयों एवं कार्यालयों के निरीक्षण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवीनतम शिक्षण पद्धतियों एवं तकनीकों का समावेश किया गया है।
- अध्यापकों की कृतियों का शिक्षा निदेशालय के पुस्तकालय में संग्रह की व्यवस्था की गई है।
- आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय कर विद्यालय एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा के साथ सह-सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है।
- अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के सहयोग से अकादमिक सदस्य समूह का गठन किया गया है।

- प्रत्येक विद्यालय का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।
- निर्माण कार्यों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की निर्माण समिति को दी गई है।
- समुदाय का विद्यालयी क्रियाकलापों में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।
- बी.आर.सी. एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का एकीकरण किया गया है।
- ग्राम शिक्षा समिति के प्रारूप में परिवर्तन किया जा रहा है।
- “मिसिंग स्टूडेंट” एवं “मिसिंग टीचर” के चिन्हीकरण हेतु अभियान चलाया गया।
- शिक्षकों के शिक्षण के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों पर रोक निर्देश दिये गये हैं।
- प्रत्येक विकास खण्ड को ब्राड-बैंड से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।
- शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं।
- परिषदीय परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप पण्डित दीन दयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।
- सीमेट द्वारा अभिकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।
- बच्चों के चिन्हीकरण हेतु घर-घर सर्वेक्षण किया जा रहा है।

अध्याय-4

वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रगति का विवरण

धनराशि लाख रूपयों में

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		आउटपुट		उपलब्धि	आउटकम		उपलब्धि	
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान		
बेसिक शिक्षा										
निदेशन एवं प्रशासन	प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था	112.97	0.00							
मध्याह्न भोजन योजना	1. प्राथमिक स्तर के बच्चों के पोषण में सुधार करना।	15350.09	0.00	861617 लाभार्थी		861617 बच्चे लाभान्वित	सकल नामांकन दर 99 प्रतिशत ड्राफ्ट आउट दर 12.83 प्रतिशत		बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया है।	
	2. बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना।									
	3. योजना के माध्यम से सामाजिक समन्वय को मजबूती प्रदान करना।									
	4. लिंग भेद-भाव कम करने का प्रयास करना।									
	5. नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति, ठहराव एवं बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि									
राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम	1. राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता की दर वाले जनपदों की साक्षरता को 80 प्रतिशत तक बढ़ाना।	950.00	0.00	48501		48501	साक्षरता दर 72.28		64356 के लक्ष्य के सापेक्ष 48501 निरक्षरों को साक्षर किया गया है।	
विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण	1. प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।	400.00	0.00	324585		324585 विद्यार्थी लाभान्वित	100 प्रतिशत		सामान्य जाति के बालकों को राज्य सरकार द्वारा कक्षा- 1 से 8 तक की पाठ्य-पुस्तकें प्रत्येक वर्ष निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।	
बेसिक शिक्षा परिषद का राजकीयकरण	1. बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	0.00	87265.02		26149 अध्यापकों को वेतन भुगतान					

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		आउटपुट		उपलब्धि	आउटकम		उपलब्धि
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता	1. प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धता में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना।	1500.00	11110.00		1641 अध्यापक / कर्मचारियों को वेतन भुगतान				जनसहभागिता से संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था पर होने वाला वार्षिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है।
सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षकों की व्यवस्था	16710.84	0.00	4535		पी0टी0आर0 के अनुसार अध्यापक	सकल नामांकन दर 101 प्रतिशत ड्राफ्ट आउट दर 0.1 प्रतिशत		
	कक्षा शिक्षण में टी0एल0एम0			42444		कक्षा शिक्षण सुधार			
	ब्लॉक स्तर पर शैक्षणिक विकास में सहयोग			95		विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग			
	संकुल स्तर से विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग			1001		विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग			
	पाठ्यक्रम / पाठ्यचर्या अनुसार प्रशिक्षण			38925		पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापकों को तैयार करना			
	बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करना			2846		विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को मुख्यधारा में सम्मिलित करना			
	प्रोत्साहन सभी बालिकायें, एस0सी0, एस0टी0			746130		नामांकन, ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन			
	विशिष्ट आवश्यकता			16393		विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की धारा में सम्मिलित करना।			
	विद्यालयी ढाँचागत सुविधायें			1104		विद्यालयी ढाँचागत सुविधा			
	लघु टूट फूट मरम्मत			16709		विद्यालय भवन एवं सामग्री लघु मरम्मत			
	विद्यालय विकास			17592		विद्यालय का विकास			
	शोध मूल्यांकन अनुश्रवण व्यवस्था			13429		शैक्षणिक शोध एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास			
	जनपद स्तर पर प्रबन्धन			13		परियोजना प्रबन्धन			
	समुदाय / जनप्रतिनिधियों में विद्यालय के प्रति अपवंचित बच्चों को छात्रावास			51166		समुदाय को विद्यालय से जोड़ना			
			2			शालात्यागी एवं			

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		आउटपुट		उपलब्धि	आउटकम		उपलब्धि	
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान		
	सुविधा					अपवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन परियोजना प्रबन्धन				
	राज्य स्तर पर प्रबन्धन			1						
	न्यून महिला साक्षरता बालिका शिक्षा हेतु			442		न्यून महिला साक्षरता ब्लॉकों में बालिका शिक्षा का विस्तार				
	शालात्यागी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु आवासीय सुविधा			28		शालात्यागी एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन				
छात्रवृत्ति	योग्यता छात्रवृत्ति का वितरण	0.00	10.00							
माध्यमिक शिक्षा										
निर्देशन, प्रशासन एवं निरीक्षण	1. विभागीय नीति का निर्धारण करना। 2. अधीनस्थ कार्यालयों का नियंत्रण, निरीक्षण, मार्ग दर्शन एवं समन्वय। 3. मण्डलीय अपर निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का संचालन। 4. विकेंद्रित नियंत्रण, अनुश्रवण एवं समस्याओं के निराकरण।	66.53	4089.10		110 कार्यालयों एवं 808 रा. हाई0 एवं 998 रा.इण्टर कॉलेजों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण				विद्यालयों हेतु नीति निर्धारण, निरीक्षण हेतु स्थापित प्रशासनिक एवं निरीक्षक कार्यालयों के वेतनादि पर होने वाला वार्षिक व्यय वहन किया गया है।	
प्रशिक्षण	1. शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था। 2. पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक निर्माण। 3. विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु सामग्रियों का निर्माण। 4. शैक्षिक तकनीकी आदि में शोध। 5. अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के संचालन, अनुश्रवण आदि के प्रशिक्षण। 6. शैक्षिक प्रशासन व प्रबन्धन का प्रशिक्षण।	2208.37	173.05	2600 बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 161 संकाय सदस्यों का क्षमता विकास 301 अध्यापकों की क्षमता संवर्धन	3 डायटों में प्रशिक्षण विद्यालय	गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।	100 प्रतिशत		2600 सेवा पूर्व प्रशिक्षण 161 सेवारत अधिकारियों, शिक्षक एवं कर्मिकों के प्रशिक्षण इसके अतिरिक्त ए.टी.आई. सी.सी.आर.टी. एवं आर.आई.ई. से भी प्रशिक्षण दिलाया गया।	
छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन	1. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। 2. हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा की मेरिट में आने वाले छात्रों को प्रोत्साहन। 3. खराब आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन 4. सीमान्त जनपदों के विद्यार्थियों	148.00	34.62	56 खेल छात्रवृत्ति 6209 बी0पी0एल0 बालिकाओं का छात्रवृत्ति 269 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	छात्र-छात्रायें लाभान्वित				1. हाईस्कूल/इण्टर बोर्ड परीक्षा की मेरिट में आने वाले छात्रों को एकमुश्त प्रोत्साहन एक वर्ष के लिए। 2. आर0आइ0एम0सी0 विद्यालय में अध्ययन	

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		आउटपुट		उपलब्धि	आउटकम		उपलब्धि
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
	को प्रोत्साहन।				35 छात्र-छात्राओं को दीन दयाल उपाध्याय पुरस्कार				अवधि 4 वर्ष के लिए। 3.स्कूली खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को एक वर्ष के लिए। 4.बी0पीएल0 परिवार की बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 में कुल दो वर्ष के लिए।
	5. उत्तराखण्ड मूल के बच्चों को आर.आई.एम.सी. विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रोत्साहन।				17 छात्रों को आर0आई0एम0 सी0 छात्रवृत्ति				
	6. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन।				9870 बालिकाओं को इनसैन्टिव फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन				
	7. कक्षा-8 की परीक्षा में 70 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मण्डलीय मेरिट के आधार प्रोत्साहन				17 सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति				
	8. सैन्य स्कूलों पढाई हेतु प्रोत्साहन।				51 विद्यालयों को शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार				
	9. कक्षा-8 में सर्वोत्तम अंक पाने वाले विद्यार्थी को कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक पाने पर प्रोत्साहन				14 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार				
	10. अनु0 जाति, जन जा0 एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को प्रोत्साहन।								
	11. अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन।								
	12. प्रतिभाशाली बच्चों की खोज एवं प्रोत्साहन।								
	13. बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन।								
	14. उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहन।								
परीक्षार्थ	1. परीक्षा का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण	25.03	1053.40		परीक्षार्थी इण्टर बोर्ड तथा परीक्षार्थी हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित	समय पर परीक्षाओं का आयोजन एवं परीक्षाफल की घोषणा के फलस्वरूप विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना सम्भव हुआ		इण्टर बोर्ड 75.88 प्रतिशत तथा हाईस्कूल बोर्ड 68.14 प्रतिशत परीक्षाफल	126300 परीक्षार्थी इण्टर बोर्ड में सम्मिलित हुए जिसमें से 95742 सफल रहे तथा 174976 परीक्षार्थी हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए
	2. राज्य में गृह, परिषदीय, प्री-बोर्ड, विभागीय परीक्षाओं का आयोजन कराना।								
	3. मूल्यांकन के संबंध में परिषद मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना।								

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		आउटपुट		उपलब्धि	आउटकम		उपलब्धि
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
	4. अशासकीय विद्यालयों का नियमन।								जिनमें से 119243 सफल रहे।
राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों का संचालन एवं स्थापना	1. असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूलों की स्थापना। 2. स्थापित विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास।	3091.10	120682.37		886 राजकीय हाईस्कूल एवं 1005 राजकीय इण्टरकॉलेजों का संचालन	बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए			
आवासीय विद्यालयों का संचालन	1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना	997.52	0.00	2484 विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा		उत्कृष्ट एवं नि:शुल्क शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए			
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर पर विस्तारीकरण	1. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक वर्ग की ड्रापआउट बालिकाओं की इण्टर स्तर तक आवासीय शिक्षा व्यवस्था	200.00	0.00	अनुसूचित जाति/जन जाति की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा की व्यवस्था		अपवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए			
गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	1. शिक्षा की व्यवस्था में गैर सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन।	183.20	18800.00		315 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का संचालन				जनसहभागिता से संचालित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था पर होने वाला वार्षिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन	1. शिक्षक-शिक्षा की व्यवस्था करना। 2. संकाय विकास एवं शोध।	135.00	0.00	10 डायट, 03 डी0आर0सी 0 का सृष्टीकरण		प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण सामग्री एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता हुई है।			जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण सामग्री एवं आधार भूत सुविधाओं हेतु केन्द्र सरकार से वार्षिक बजट प्राप्त होता है।
माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना	1. शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का प्रयोग।	0.00	0.00						
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1. वर्ष 2012-13 तक हाईस्कूल स्तर की शिक्षा की सर्वसुलभता। 2. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं	4723.00	0.00	147 नये राजकीय हाईस्कूलों 1879		गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए।			वर्ष 2012-13 तक प्रदेश में हाई स्कूल स्तर की शिक्षा की सर्वसुलभता करायी

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		आउटपुट		उपलब्धि	आउटकम		उपलब्धि
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
	का विकास करना। 3. अध्यापकों एवं अभिकर्मियों की क्षमता विकास। 4. शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण 5. ब्लाक स्तर पर मॉडल स्कूल की स्थापना। 6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।			विद्यालयों को स्कूल ग्रांट 5480 शिक्षकों को प्रशिक्षण, 680 अध्यापकों का		विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला, उपकरण, कक्षा-कक्ष एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता हुई है।			जानी है। जिसके क्रम में वर्ष 2011-12 में 147 विद्यालय इस योजना अन्तर्गत खोलते हुए संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। सकल नामांकन दर 75.8 प्रतिशत तथा नेट नामांकन दर 44 प्रतिशत पहुंची
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान	1. सैनिक स्कूल को सहायता प्रदान करना।	275.00	10.00	1 सैनिक स्कूल का संचालन					
स्काउट एवं प्रदर्शनियां	1. स्काउट-गाइड की गतिविधियों का संचालन।	0.00	27.00		277 प्रतिभागियों को स्काउट मास्टर प्रारम्भिक कोर्स 646 गाइड कै	547 शिक्षकों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया गया			
खेलों का आयोजन	1. विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना। 2. विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करना।	0.00	45.00		राष्ट्रीय स्कूली खेलों में 4 स्वर्ण 12 रजत 18 कांस्य पदक	विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।			
पुस्तकालय	1. सार्वजनिक पुस्तकालयों के भवन उपकरण एवं पुस्तकीय सहायता प्रदान करना। 2. राजकीय जिला एवं शाखा पुस्तकालयों का संचालन।	40.00	126.00	24 पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता एवं 02 पुस्तकालय का भवन निर्माण		पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार			पुस्तकालय संचालित करने हेतु नियुक्त कार्मिकों के वेतन तथा पुस्तक एवं अन्य आवश्यक सामग्री पर होने वाले वार्षिक व्यय हेतु व्यवस्था है।
राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनों का निर्माण	1. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	4492.30	0.00	23 चालू वृहत निर्माण 5 नवीन निर्माण कार्य कॉमन रूम		आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हुई			विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भवन सुविधा एवं बालिकाओं हेतु कॉमन रूम की

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		आउटपुट		उपलब्धि	आउटकम		उपलब्धि
		प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान		प्लान	नान प्लान	
				का निर्माण					व्यवस्था। कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास
आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण	1. आवासीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	616.00	0.00	02 राजीव गांधी आवासीय विद्यालय भवन		आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हुई			रा.गां.नवो.वि. टिहरी एवं हरिद्वार हेतु स्वीकृति
पुस्तकालयों का भवन निर्माण	1. आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	50.00	0.00	2 पुस्तकालयों के भवन निर्माण कार्य		आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हुई			2 पुस्तकालय भवनों का निर्माण हेतु स्वीकृति दी गयी।
अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	1. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। 2. असेवित क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना। 3. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	1130.10	0.00	18 चालू वृहत निर्माण कार्य		आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हुई			अनु0जा0 एवं जनजाति क्षेत्र के 18 विद्यालय भवनों का निर्माण हेतु स्वीकृति दी गयी।

अध्याय-5

वित्तीय समीक्षा

विगत चार वर्षों में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा में वित्तीय प्राविधान एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

धनराशि हजार रूपयों में

बेसिक शिक्षा	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12
प्राविधान प्लान	2119356	1656518	3756496	4413583
प्राविधान नानप्लान	6640056	12542515	11430403	13157352
कुल प्राविधान	8759412	14199033	15186899	17570935
व्यय प्लान	1395788	1099686	3611249	3205486
व्यय नानप्लान	6234303	8742488	11428909	12950364
सम्पूर्ण व्यय	7630091	9842174	15040158	16155850

बेसिक शिक्षा में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में जहां 22 प्रतिशत अधिक धनराशि व्यय हुई, वहीं वर्ष 2010-11 में 2009-10 की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ। वर्ष 2011-12 में गत वर्ष के सापेक्ष व्यय में 7.42 प्रतिशत वृद्धि हुई।

धनराशि हजार रूपयों में

माध्यमिक शिक्षा	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12
प्राविधान प्लान	3279212	2086187	3653072	3229027
प्राविधान नानप्लान	6381601	12605546	11873584	15032355
कुल प्राविधान	9660813	14691733	15526656	18261382
व्यय प्लान	3130748	1308455	2098632	1476819
व्यय नानप्लान	6275906	8237713	11865897	14848501
सम्पूर्ण व्यय	9406654	9546168	13964529	16325320

माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 के व्यय में जहां मात्र 01 प्रतिशत वृद्धि हुई, वहीं वर्ष 2010-11 में 2009-10 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ। वर्ष 2010-11 के व्यय के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में 16.91 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ।

अनुक्रमणिका

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1. विभागीय कार्यकलाप	1-2
2. संगठनात्मक ढांचा	3-4
3. विभाग द्वारा संचालित योजनायें / कार्यक्रम	5-6
4. लक्ष्य एवं नीतियां	7
5. महिलाओं के लिए विशेष योजनायें	7-8
6. वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित योजनायें	9-13
7. सुधारत्मक कार्य एवं नीतिगत पहल	14-15
8. वर्ष 2011-12 की प्रगति	16-21
9. वित्तीय समीक्षा	22